

11.01-22. पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली वाद जाफ़ा कारबेल दफ़तर हो।

पुनःपुनः वादियात,
शेर
साथल बनील वादियात
सकापुर सैन-धीपपुर